

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 32] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 4, 1984/माघ 15, 1905

No. 32] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 4, 1984/MAGHA 15, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

श्रम और प्नत्रांसि मंत्रालय

(श्रम विभाग)

हृदि-पत्र

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 1984

सा. का. नि. 53(अ) :—अन्तर्राष्ट्रियक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनि-
मगन और सेवा शर्त) केन्द्रीय नियम, 1980 में जो भारत सरकार के श्रम मंत्रालय
की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 514(ब), तारीख 1 अगस्त, 1980 के साथ
भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2—खण्ड 3, उप-खण्ड (1), तारीख 4 दिसम्बर,
1980 को प्रकाशित हुआ था :—

(क) नियम 6 के उप-नियम (2) में “उप-नियम (4)” के स्थान पर
“उप-नियम (3)” पढ़ें ;

(ख) नियम 12 के उप-नियम (1) की मद सं. (घ) में “80.00” के स्थान पर, “300.00” पढ़ें ;

(ग) प्ररूप 4 और प्ररूप 5 की मद 8 में “प्ररूप 5” के स्थान पर, “प्ररूप 6” पढ़ें ।

[फाइल सं. एस-45011/1/83-एल. डब्ल्यू.]

लक्ष्मीधर मिश्रा, महानिदेशक

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 4th February, 1984

G.S.R. 53(E).—In the Inter-State Migrant Workman (Regulation of Employment and Conditions of Service) Central Rules, 1980, published with the notification of the Government of India, Ministry of Labour, No. G.S.R. 514(E), dated the 11th August, 1980, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II-Section 3-Sub-section (i), dated the 4th September, 1980, —

- (a) in sub-rule (2) of rule 6 for “sub-rule (4)”, read “sub-rule (3)”;
- (b) in item (d) of sub-rule (1) of rule 12, for “80.00” read “300.00”;
- (c) in item 8 of Form IV and Form V for “Form V” read “Form VI”.

[File No. S-45011/1/83-LW]

LAKSHMIDHAR MISHRA, Director General